Sig Par eader

46.05 201 Case No. F.

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

where Signature of Parties or necessary Pleaders

2.

3

Me &

में बाताल के का कि का का

अधिवक्ता श्री बाबूराम चौरसिया। फरियादी एवं आहत अजय व रामबेटी उप0। प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ। सहित आभियुक्तगण

हस्ताक्षर हतु अनुमिति जी०एस० निगम आवेदन Kh मय राजीनामा गयी। मय आवेदन राजीनामा 母 松 आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320–2 मय लोक अदालत डॉकेट म कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान १ अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री बाबूराम चौरसिया द्वारा एक फरियादी अजय व आहत रामबेटी की ओर से एव ारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् म त्र अतर्गत धारा 320–2 मय लोक अदालत डॉकेट अतर्गत धारा 320

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया

द्वाब, जाना प्रकट राजीनामा बिना किसी भय, किया मघुर रखने के आशय से अभियुक्तगण से लोभ-लालच के पारस्परिक संबधों को किया है। फरियादी एवं आहत ने

सामामिक 朝 अनुमित से फरियादी 34 के अधीन दण्डमीय रखते अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा 325, 323, 504, 34 के अधीन दण्ड अभियोग पत्र पेश किया है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरि एवं आहत द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं साम दिशित होता है। # को ध्यान उददेश्य अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रशासन के रखने के आपराधिक जाने की अनुशसा बनाये राजीनामा

नाम जिसका प्रमाव अभियुक्त सामा अपराध आरोप से राजी निति है। किया क्रि स्वीकार अभियुक्तगण को धारा 325, 323, 504, 34 भा0द0विठ के अपराध के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त Kh अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

一世历 आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे

西 部の当時

ででは M. S. L. C. 五年

Dank and Co

सदस्य